

पचा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

करण संख्या - 324 / 2024

नवान :

सतनामसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति वावरी निवासी वार्ड नं० 08, गॉव खाराखेडा तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र जंगीरो पत्नी गुरमुखसिंह जाति वावरी निवासी वार्डनं० 05
शक्तिनगर पो०आ० मोहनपुरा, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. बचनकौर पुत्री जंगीरो पत्नी गुरमुखसिंह जाति वावरी निवासी वार्डनं० 05 शक्तिनगर
पो०आ० मोहनपुरा, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्वर्णकौर पुत्री जंगीरो पत्नी गुरमुखसिंह जाति वावरी निवासी वार्डनं० 05 शक्तिनगर
पो०आ० मोहनपुरा, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:- 1 अधिवक्ता श्री अरविन्द नैण :- वादी

2 अधिवक्ता अजय भादू :- प्रतिवादीगण





डिक्री

दिनांक 29/11/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री अरविन्द नैण व अजय भादू अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम
निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति
के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर
घोषणा की जाती है कि चकनं० 4 केएचआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता
सं० 42/37 में कुल अंकित 6.831 है० आराजी मे जंगीरो के 1/9 हिस्सा की आराजी
का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 4 केएचआर के खाता
सं० 42/37 मे से जगीरों का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते
तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है
रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो
उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी